(24)

माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट

रीवा (म0प्र0) निगरानी 3191-II-15

198
15-6-15

पुरूषोत्तम तनय स्व0 भगवानदीन सिंह निवासी ग्राम करही राजनिवास सर्किट हाउस के पास केन्द्रीय विद्यालय के पीछे, थाना सिविल लाईन रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....आवेदक

बनाम

बीरन सिंह तनय स्व0 भगवानदीन सिंह निवासी ग्राम करही राजनिवास सर्किट हाउस के पास केन्द्रीय विद्यालय के पीछे, थाना सिविल लाईन रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....अनावदेक

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा दिनांक 13/04/2015 जो प्रकरण क्रमांक 42ए-6/13-2015 में पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 संहिता,

श्री डी.पी. मिश्रा 15.6.15 द्वारा प्रस्तुत किया गया

क्रमांक 5849
रजिस्टर्ड पोस्ट आज
दिनांक प्राप्त
राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी के आधार निम्न है:—

1-- यह कि प्रश्नाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0 द्वारा द्वितीय अपील कमांक 229/2010 में पारित जिस आदेश दिनांक 17/05/2010 के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकना माना है वह सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि अधीनस्थ न्यायालय आवेदक के आवेदन पर कोई कार्यवाही न करे।

DP Mishra

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.2191/II-I/15 .... जिला रीवा

पुरुषोत्तम — बोनेसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	यह निगरानी तह० के आदेश दिनांक 13-4-15 प्र०क्र० 42/अ-6/14-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।	
	प्रकरण में आवेदक अधि० श्री डी०पी० मिश्रा के तर्क श्रवण किए गये तथा उन पर विचार किया गया। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया तथा प्रश्नाधीन आदेश का परीक्षण किया गया।	
	प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से पाया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में मान० उच्च न्याया० के प्र०क्र० SA N. 229/2010 में पारित आदेश दिनांक 17-5-10 के आधार पर यह मानते हुए कि प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं करना है और अपने समक्ष के प्रकरण को समाप्त कर दिया गया जबकि मान० उच्च न्याया० द्वारा प्रकरण में जुलाई 2010 तीसरे सप्ताह के लिए नियत किया जाकर कार्यवाही को स्थगित रखने के आदेश दिए थे। प्रकरण के अंतिम रूप से समाप्त करने के आदेश नहीं दिए गये थे।	
	अतः उपरोक्त आधार पर तह० का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारों को सूचना देकर उच्च न्याया० के अंतिम आदेश हुआ हो तो उसकी प्रति प्राप्त करें एवं मान० उच्च न्याया० के मार्गदर्शन में की	

[कृ. प. उ.

R.2191/11/15 6/91

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
पुरुषोत्तम	बनाम श्री.के.सिंह	

प्रकरण में प्रभावशील आदेश के क्रम में कार्यवाही प्रतिबंधित करें। इसके साथ ही उभयपक्ष को भी आदेशित किया जाता है कि वे भी इस आदेश की संसूचना के 15 दिवस के अन्दर मा० उच्च न्यायालय के वर्तमान में प्रभावशील आदेश की प्रति अधी० न्याया० के पीठासीन अधि० के समक्ष प्रस्तुत करें एवं प्रकरण के अंतिम निराकरण में विचारण न्याया० का सहयोग करें।

उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र०ना०नि० हो।

(हस्ताक्षर)
सदस्य